इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2016—अग्रहायण 4, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्रमांक F/4-E-2/2015/A-सोलह.—मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (1958 का क्रमांक 25) की धारा 59 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना नियम, 1959 के निम्नांकित नियमों को निम्नानुसार संशोधित करना प्रस्तावित करती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 59 (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित कर सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव पर इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 2 माह की अवधि के अवसान उपरान्त विचार किया जायेगा।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी किसी आपत्ति या सुझाव पर, जो विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचारा किया जायेगा :-

संशोधन

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना नियम, 1959 में, नियम 16 के पश्चात, निम्न नवीन नियम अन्त:स्थापित किया जायेगा अर्थात :-

"16-क- **स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु पूर्वोपाय** :-

ऐसे संस्थान जहाँ ऐसी परिसंकटमय प्रक्रिया संचालित की जाती हो, जिनमें शारीरिक क्षति की आशंका हो या रासायनिक अथवा शारीरिक परिसंकट का जोखिम हो या ऐसे संस्थान जिनमें 10 या अधिक श्रमिक सामान्यत: नियोजित होते हो, में निम्न सुरक्षा व्यवस्थाएँ अपनायी जाना होगी :-

स्वास्थ्य -

(1) प्रत्येक संस्थान के परिसर -

(i) धूल एवं कचरे के जमाव से साफ एवं मुक्त रखे जायेंगे।

(ii) पूर्ण कार्यावधि के दौरान पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त रहेंगे।

(iii) परिसर में समुचित संवातन होगा ताकि पर्याप्त वायु व प्रकाश की उपलब्धता बनी रहे।

(iv) वर्ष में कम से कम एक बार पुताई व वार्निश किया जावेगा तथा परिसर में आखिरी बार हुयी पुताई व वार्निश की तिथि का नोटिस प्रदर्शित किया जायेगा।

(2) ऐसे संस्थान के परिसर के फर्श जिनके विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान गीले होने की आशंका हो, से पानी के निकास की प्रभावी व्यवस्था व अनुरक्षण किया जायेगा।

(3) प्रत्येक संस्थान में नियोजित कर्मकारों के लिए पीने के पानी की प्रदाय की समुचित व्यवस्था की जायेगी। प्रदाय किया जा रहा जल मानव उपयोग के लिए समुपयुक्त होगा तथा इसे सुरक्षित व उचित रूप से ढककर भंडारित किया जायेगा।

(4) प्रत्येक संस्थान का नियोजक सुविधाजनक स्थान पर स्वच्छ एवं स्वास्थप्रद स्थिति में एक थूकदान, रोगाणुनाशक सहित जो कि द्रव्य व चूने की परत से ढकी रेत हो सकती है, की व्यवस्था व अनुरक्षण करेगा। यह रोगाणुनाशक प्रतिदिन बदला जायेगा।

(5) प्रत्येक संस्थान जो कार्यशाला है या जिनमें किसी वस्तु का निर्माण या अनुकूलन उनके उपयोग, परिवहन या विक्रय हेतु किया जाता हो, वहाँ कर्मकारों के प्रक्षालन की सुविधाएँ जैसे साबुन, तौलिया, नाखून का ब्रश आदि की व्यवस्था की जाकर अनुरक्षण किया जायेगा।

(6) प्रत्येक संस्थान में, जिसमें वहाँ चलायी जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया के कारण धूल या धुऑ अथवा अन्य अपद्रव्य इतना व्यापक और इस प्रकार का होता हो, जिसके कर्मकारों के लिए क्षतिकारक अथवा संतापकारक होने की संभावना है अथवा पर्याप्त मात्रा में कोई धूल निकलती है वहाँ इस बात के लिए प्रभाव पूर्ण उपाय इस प्रकार किये जायेंगे कि कार्य करने के कमरे में उसके अन्त:श्वसन और संचयन को रोका जा सके और यदि इस प्रयोजन लिए कोई निष्कासक साधन आवश्यक हो तो वह धूल, धुऑ व अन्य अपद्रव्य के यथाशक्य निकटतम मूल स्थान पर प्रयुक्त किया जायेगा और जहॉ तक संभव हो, उस स्थान को घेर दिया जायेगा।

(7) किसी संस्थान में कोई स्थायी अन्र्तदहन इंजन तब तक नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसका निष्कासन खुली हवा में न किया जाऐ तथा कोई अन्य अन्र्तदहन इंजन किसी कमरे में तब तक नहीं चलाया जायेगा जब तक उसमें से निकलने वाले धुएँ के संचयन को जिससे उस संस्थान में काम करने वाले कर्मकारों को क्षति की संभावना हो, रोकने के लिए प्रभावपूर्ण उपाय नहीं कर दिये जाते।

(8) प्रत्येक संस्थान में पर्याप्त एवं सुविधाजनक स्थान में शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था की जायेगी, ऐसे स्थानों पर पर्याप्त रोशनी और संवातन होगा व निजता सुनिश्चित होगी। प्रत्येक 25 श्रमिकों अथवा उसके भाग के लिए कम से कम एक शौचालय और 2 मूत्रालय होंगे तथा पुरूष और महिला के लिए पृथक-पृथक व्यवस्था की जायेगी।

सुरक्षा -

(9) प्रत्येक संस्थान में स्थित किसी मशीनरी के प्रत्येक संकट पूर्ण भाग पर सुदृढ सुरक्षाणों द्वारा सुरक्षित रूप से बाड लगायी जाएगी, जो मशीनरी के बाड लगाये गये भाग की गति या प्रयोग में होने के समय अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे।

(10) प्रत्येक संस्थान जहॉ विद्युत शक्ति की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया चलायी जा रही हो, में आपात समय में चालू मशीनरी से बिजली काटने के लिए उपयुक्त युक्तियों की व्यवस्था की जायेगी।

(11) चालू मशीन या बेल्ट के नजदीक किसी ढीले वस्त्र पहने हुए श्रमिक को कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा तथा इस हेतु नियोजक के द्वारा चुस्त कपडे प्रदाय किये जायेंगे।

(12) प्रत्येक संस्थान के नियोजक द्वारा रसायनों या विषाक्त प्रदार्थों के उपयोग, संभाल, भंडारण, परिवहन या निष्पादन में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु प्रभावी व्यवस्था की जायेगी।

(13) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण व कपडे संबंधी प्रावधान - नियोजक द्वारा परिसंकट अनुसार व शारीरिक क्षति की संभावना तथा भौतिक व रसायनिक परिसंकट की आशंका के अनुरूप उचित प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण व कपडे नियोजित श्रमिकों को प्रदान किये जायेंगे।

(14) कतिपय दुर्घटनाओं की सूचना - जब किसी संस्थान में कोई दुर्घटना घटित हो जाए और उससे किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक क्षति पहुचे जिसके कारण क्षतिग्रस्त व्यक्ति 48 घंटे या अधिक समय के लिए काम करने के लिए अयोग्य हो जाए तो नियोजक द्वारा निरीक्षक को विहीत समय-सीमा के अन्दर सूचना दी जायेगी।

(15) कर्मकारों का आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देने का अधिकार - किसी संस्थान में नियोजित श्रमिक को युक्तियुक्त आशंका हो कि किसी दुर्घटना के कारण उसके या उसके साथी श्रमिक को आसन्न खतरा है तो वे उसे नियोजक व निरीक्षक की जानकारी में सीधे या अपने प्रतिनिधि के मार्फत से ला सकेंगे।

(16) एक कार्य स्थल पर विभिन्न नियोजकों द्वारा कार्य - जहॉ किसी परिसर में पृथक-पृथक दुकान या स्थापना विभिन्न नियोजकों को प्रयोग के लिए पटटे पर दिये गये है, वहॉ पहुच मार्ग, जल निकासी, जल प्रदाय, रोशनी और स्वच्छता जैसी सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था और अनुरक्षा करने के लिए परिसर का स्वामी उत्तरदायी होगा। परिसर का स्वामी मंजिलों तक पहुचने के लिए निरापद साधन और सीढियों और सामान्य मार्गों को बनाये रखने, सफाई कार्य, आग लगने की दशा में पूर्व सावधानियॉ, उत्तोलकों व उत्थापकों का अनुरक्षण भी सुनिश्चित करेगा। किसी एक संस्थान में संचालित होने वाले क्रिया कलापों से दूसरे संस्थान के श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संकटग्रस्त नहीं होने देगा।

(17) कर्मकारों की बाध्यताएँ व अधिकार -

(i) कोई कर्मकार संस्थान के कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए वहॉ उपबंधित किसी उपकरण, सुविधा या अन्य चीज में जानबूझकर हस्तक्षेप या दुरूपयोग नहीं करेगा और जानबूझकर एवं युक्तियुक्तकरण के बिना कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे स्वयं उसके या अन्य व्यक्तियों के खतरे में पडने की संभावना हो ।

(ii) प्रत्येक कर्मकार को कार्य स्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित जानकारी, निर्देश और प्रशिक्षण नियोजक से प्राप्त करने के अधिकार होगा।

(18) सूचनाओं/चेतावनी चिन्हों का सम्प्रदर्शन -

(i) प्रत्येक दुकान एवं स्थापना के नियोजक द्वारा किसी सहजगोचर व सुविधाजनक स्थान पर बहुसंख्यक कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में अधिनियम व नियमों की संक्षिप्तियॉ प्रदर्शित की जायेगी ।

(ii) प्रत्येक दुकान एवं स्थापना के नियोजक द्वारा बहुसंख्यक कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा या चित्रात्मक रूप में किसी सहजगोचर व सुविधाजनक स्थान पर रासायनिक व जैविक परिसंकट तथा उनसे बचाव संबंधी जानकारियों बाबत सूचना प्रदर्शित की जावेगी।

आंखों का बचाव -

(19) नियोजक द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया या उसके निकट नियोजित व्यक्तियों की आंखों के बचाव के लिए यथोचित सुरक्षा चश्मों की व्यवस्था की जायेगी जहॉ पर कि -

(अ) प्रक्रिया में छिटकने वाले कणों या खण्डों से आंखों की क्षति का जोखिम हो,

(ब) अत्याधिक रोशनी पडने से आंखों का जोखिम हो

कल्याण -

(20) प्रत्येक संस्थान में निम्नलिखित अन्र्तवस्तुओं से युक्त प्राथमिक उपचार पेटी अनुरक्षित की जावेगी-

(i) मध्यम आकार की स्टरलाइज्ड पटिटयॉ - 6

(ii) 2.5 इंच की पटिटयॉ - 6

(iii) 1 औंस की बॉटल जिसमें 2 प्रतिशत अल्कोहलिक आयोडिन होगा

(iv) 1 औंस की बॉटल जिसमें सालबोलाटाइल होगा जिसकी मात्रा तथा प्रयोग की विधि लेबल पर उपदर्शित होगी

(v) 1 जोड़ी कैची

(vi) बर्नाल की 1 टयूब

(vii) एक औंस आलिव आईल, आई-ड्राप की तरह उपयोग के लिए

(viii) स्टीकिंग प्लास्टर का 1 रोल

(xi) मुख्य निरीक्षक द्वारा जारी प्राथमिक उपचार संबंधी सूचना पत्रक की एक प्रति

(21) प्रत्येक संस्थान के नियोजक द्वारा, जहॉ कार्य प्रक्रिया के दौरान धुऑ उत्पन्न होता है, के सुरक्षित निकास के लिए प्रभावी उपाय करेगा ताकि परिसर में कार्यरत व्यक्तियों का स्वास्थ सुरक्षित रहें।

(22) प्रत्येक संस्थान जहॉ ग्राहकों को खाना, पीना, पेय परोसा जाता है, वहॉ नियोजक द्वारा सभी नियोजित व्यक्तियों व स्वयं का वर्ष में कम से कम एक बार सर्टिफाईड सर्जन या जहॉ पर सर्टिफाईड सर्जन न हो तो सिविल डिस्पेंसरी के प्रभारी डॉक्टर द्वारा चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। परीक्षण कराये गये कर्मकार का संक्रमणीय बीमारी से मुक्त होने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र फार्म नम्बर 1 में प्राप्त किया जावेगा तथा निरीक्षक द्वारा चाहे जाने पर प्रस्तुत किया जायेगा।

परंतु यदि चिकित्सीय परीक्षण के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व कोई कर्मकार किसी अन्य संस्थान में चला जाता है तो उसे नवीन चिकित्सीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। उसे जारी किया गया चिकित्सीय प्रमाण पत्र इस नियम की पूर्ति हेतु पर्याप्त होगा।

(23) कर्मकारों का चिकित्सकीय परीक्षण -प्रत्येक दुकान एवं स्थापना के नियोजक द्वारा नियजित व्यक्तियों का प्रारंभिक व वार्षिक चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा तथा ऐसा रिकार्ड संधारित किया जावेगा और ऐसे रिकार्ड कर्मकारों को उपलब्ध कराये जायेंगे।

सुरक्षा प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता -

(24) प्रत्येक ऐसे संस्थान जहॉ सामान्यत: 50 या अधिक कर्मकारों का नियोजन किया जाता है, काम में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बनाये रखने तथा उस निमित किये गये उपायों का नियतकालिक पुर्नविलोकन करने के लिए एक सुरक्षा समिति का गठन किया जावेगा जिसमें कर्मकारों व प्रबंधन के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी इस कमेटी की बैठक आवश्यकतानुसार किन्तु प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

(25) पूर्वोपायों के समुचित होने के निर्णय के संबंध में निरीक्षक की शक्ति -

यदि नियम 16 क के परिपालन में अपनाये गये पूर्वोपायों के समुचित होने बाबद् विवाद उत्पन्न होता है तो इसे श्रम आयुक्त को अथवा उनके द्वारा अधिकृत सहायक श्रम आयुक्त के पद से अनिम्न अधिकारी को संदर्भित किया जावेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण -

' विवाद ' का अर्थ एक ओर नियोजक तथा दूसरी ओर कर्मचारीगण अथवा निरीक्षक के मध्य किसी मत वैभिन्यता से है ।

(26) निरीक्षक द्वारा वांछित जानकारी प्रदान करने की समय-सीमा -

निरीक्षक द्वारा अधिनियम व इन नियमों के प्रयोजन से किसी जानकारी या अभिलेख की अपेक्षा किये जाने पर प्रत्येक स्थापना के नियोजक द्वारा ऐसी सूचना प्राप्ति से 3 दिवस में निरीक्षक को प्रदान करेगा।

KEXAMS

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिलिंद गणवीर, अवर सचिव.

Bhopal, the 4th October 2016

No. F/4-E-2/2015/A-XVI.—

In exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 59 of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act,1958(25 of 1958),the State Government hereby proposes to amend the following rules of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Rules,1959 and it is published for the public as provided by sub section (3) of section 59 of the said Act as under and further declares that the proposal shall be taken into consideration on the expiry of two months from the date of this publication in Madhya Pradesh Gazette. Any objections or suggestions, which may be received in this behalf from any person before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government:-

AMENDMENT

In Madhya Pradesh Shops and Establishment Rules, 1959, after rule 16, the

following new rule shall be inserted, namely:-

"16-A Precautions for health and safety-

Establishments which are carrying such hazardous activities where there is likelihood of bodily injury or exposure to physical or chemical hazards or establishments wherein 10 or more workers are normally employed shall be liable to observe following safeguards:-

HEALTH:-

(1) The premises of every establishment shall be:

(i) kept clean and free from accumulation of dirt and refuse;

(ii) kept sufficiently lighted during all working hours;

(iii) Properly ventilated so as to permit sufficient air and light Into the premises;

(iv) White washed and varnished at least once in a year and notice indicating the date of last white-washing and varnishing shall be exhibited in the premises.

(2) Where the floor of the premises of an establishment is liable to become wet in the course of any manufacturing process effective means of drainage shall be provided and maintained.

(3) In every establishment proper arrangements shall be made for providing sufficient supply of drinking water to the persons employed in the establishment.

The water so supplied shall be fit for human consumption and shall be stored in a sheltered place and kept properly covered.

(4) The employer of every establishment will provide and maintain at a convenient place at least one spittoon in a clean and hygienic condition with a disinfectant in it which may be liquid or sand covered with lime. The disinfectant shall be replaced daily.

(5) In every establishment which is a workshop or in which articles are produced, adapted or manufactured with a view to their use, transport or sale, adequate washing facilities shall be provided and maintained for the use of employees such as soap, towel, nail brush, etc.

(6) In every establishment in which, by reason of the manufacturing process carried on there is given off any dust or fume or other impurity of such nature and to such an extent as is likely to be injurious or offensive to the persons working therein or any dust in substantial quantities, effective measures shall be taken to

prevent its inhalation and accumulation in the premises and if any exhaust appliance is necessary for this purpose, it shall be applied as near as possible to the point of origin of the dust fume or other impurity, and such point shall be enclosed so far as possible.

(7) No stationary internal combustion engine shall be operated in any establishment unless exhaust is conducted into the open air, and no other internal combustion engine shall be operated in any room unless effective measures have been taken to prevent such accumulation of fumes there from as are likely to be injurious to the employees working in the establishment.

(8) Latrines and Urinals: The employer of every establishment shall provide and maintain sufficient latrine and urinal accommodation adequately lighted and ventilated ensuring privacy shall be provided conveniently situated and accessible to all workers at all times, which shall be at least one latrine and two urinals for 25 workers or parts thereof. Separate enclosed accommodation shall be provided for male and female workers.

SAFETY:-

(9) Every dangerous part of machinery in an establishment shall be securely fenced by safeguards of substantial construction which shall be kept in position while the parts of machinery they are fencing are in motion or in use.

(10) In every establishment, where manufacturing process is carried on with the aid of electric power, suitable devices for cutting off power in emergencies from running machinery shall be provided and maintained.

(11) No employee with loose fitting clothes on shall be allowed or made to work near the moving machinery or belt and the tight clothes for the purpose will be provided by the employer.

(12) The employer of every shop and establishment shall make effective arrangement to provide for safety of the worker in connection with use, handling, storage, transport and disposal of chemical and toxic substances.

(13) Provision of personal protective equipment and clothing: The employer shall provide appropriate personal protective equipment and clothing to the workers employed having regard to nature of the hazards and where there is a likelihood of bodily injury or exposure to physical or chemical hazards.

(14) Notification of certain accidents: Notice of certain accidents any shop or establishment wherein an accidents occurs which causes bodily injury by reason of which the person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more shall be reported by the employer to the inspector within such time as may be prescribed.

(15) Right of workers to warn about imminent danger: The worker employed in an establishment who has reasonable apprehension that there is a like imminent danger to himself or his co workers shall bring the same to the notice of the employer and the inspector directly or through their representative.

(16) Simultaneous working at one work place by different employers: wherein any premises separate Shops or Establishments are leased to different owners to be used separately, the owner of the premises shall responsible for maintenance of common facilities such as approach roads, drainage, drinking water, lighting and sanitation to be used by the workers. The owner of premises shall also ensure safe access to floors, maintenance and cleanliness of stairs and common passages, precaution in case of fire and maintenance of hoists and lifts. The safety and health of workers of one establishment shall not be endangered by the workers carrying out various activities of the other establishment.

(17) Obligation and Right of workers:

(i) No worker shall willfully interfere or misuse any appliance, convenience or other things provided for securing the Safety Health or Welfare of workers and willfully and without reasonable cause do anything likely to endanger himself or others.

(ii) Every worker shall have the right to get information, instruction and training relating to workers Health and Safety at work from the employer.

(18) Display of notices/cautionary sign boards:

(i) The employer of every Shop and Establishment shall display a notice containing abstracts of this Act of the rules made there under in a language understood by the majority of the workers at a conspicuous and convenient place.

(ii) The employer of every Shop and Establishment shall display precautionary notice stating the hazards and precautions to be taken against them due to chemical and biological hazards at a conspicuous and convenient place in the form of pictorials or in the language understood by the majority of the workers.

PROTECTION OF EYES:-

(19) The employer shall provide suitable goggles for the protection of eyes of

the employees engaged on or in the immediate vicinity .of, the manufacturing process which is in any way open to-

(a) Risk of injury to the eyes from particles or fragments thrown off in the course of the process;

(b) Risk to the eyes by reason of exposure to excessive light.

WELFARE:-

(20) In every establishment a first-aid box with the following contents shall be maintained-

(i) Six medium sterilized dressings;
(ii) six 2-1/2" bandages;
(iii) one ounce bottle containing 2 percent alcoholic iodine;
(iv) one ounce bottle containing selvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label;
(v) One pair of scissors;
(vi) One tube of burnol;
(vii) one ounce olive oil to be used as eye drops;
(viii) One role of sticking plaster;
(ix) One copy of the first-aid- leaflet issued by the Chief Inspector

(21) The employer of every establishment, where smoke is produced in the course of carrying out its business, will take effective measures to exhaust out the smoke in order to safeguard the health of the persons employed in the premises.

(22) The employer of every establishment where food, drink and beverage is served to the customers will have all the persons employed in connection with the business of the establishment including the employer, medically examined at least once in a year. by a certified surgeon or by doctor in charge of civil dispensary, where certified surgeon is not available. A certificate in Form I to the effect that the person so examined is free from communicable diseases shall be obtained and produced before the Inspector on demand.

Provided that if an employee shifts to another concern before the expiry of one year from the date of medical examination, it will not be necessary for him to get a fresh medical certificate and a copy of the certificate already issued will be considered sufficient for the purposes of these rules.

(23) Medical examination of workers: The employer of every Shop and Establishment shall carry out initial medical examination and annually of workers and records maintained. The workers shall have access to such records.

KEXAMS

Workers participation in Safety Management:-

(24) In any establishment wherein 50 or more workers are normally employed a safety committee consisting of equal representation of workers and management may be formed to ensure safety and health of workers at work and to periodically review the measures taken on that behalf. The committee shall meet as often as necessary but at least once in every quarter.

(25) POWER OF INSPECTOR TO DECIDE THE ADEQUACY OF MEASURES:-

If any dispute arises with regard to the adequacy of the measures adopted in accordance with rules 16-A it shall be referred to the Labour Commissioner or any officer not below the rank of **Assistant** Labour Commissioner authorized by him, whose decision shall, be final.

EXPLANATION- 'Dispute' means any difference of opinion between an employer on one hand and employees and the Inspector on the other hand.

(26) PERIOD FOR SUPPLYING INFORMATION REQUIRED BY INSPECTOR:-

Any information or document required by the Inspector for carrying out the purposes of the Act and these rules shall be furnished to him by the employer of every establishment within three days from the date on which such requisition is received by the employer.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MILIND GANVEER, Under Secy.

KEXAMS

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.